भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 954**

(जिसका उत्तर सोमवार, 2 दिसम्बर, 2024/11 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है।)

''फलों को संरक्षित रखने वाले पेपर बैग पर जीएसटी''

954. **श्री केसिनेनी शिवनाथ:**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में फलों को संरक्षित रखने वाले पेपर बैग पर किस दर से जीएसटी लगाया जाता है;

(ख) सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान फलों को संरक्षित रखने वाले पेपर बैग से वर्ष-वार कितना जीएसटी वसूला गया है;

(ग) क्या सरकार की फलों को संरक्षित रखने वाले पेपर बैग पर जीएसटी को कम करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**
**वित्त राज्य मंत्री (पंकज चौधरी)**

(क) फलों को संरक्षित रखने वाले पेपर बैग एचएस कोड 4819 के अंतर्गत आएंगे और उन पर 18% जीएसटी दर लागू होगी।

(ख) ऐसा कोई डेटा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि फलों को संरक्षित रखने वाले पेपर बैग का कोई विशिष्ट एचएस कोड नहीं है।

(ग) जीएसटी की दरें जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं, जो एक संवैधानिक निकाय है। परिषद की ओर से ऐसी कोई सिफारिश नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) उपरोक्त (ग) के उत्तर के मद्देनज़र में यह प्रश्न नहीं उठता।

*****